



भारतीय विज्ञान संस्थान
बेंगलूरु – 560012
(दूरभाष सं. 22932293; 22932988)

सं.आर(आईसी)063-सर्वम/2018

दिनांक: 28 जून 2018

अपने परिसर के सर्वम कॉम्प्लेक्स में फुड़ फूड कोर्ट चलाने
हेतु
प्रस्ताव के लिए अनुरोध याने अभिरुचि की अभिव्यक्ति

भारतीय विज्ञान संस्थान 400 से अधिक एकड़ के अपने फैले परिसर में 500 से अधिक संकाय, 4000 छात्रों और 1000 सहायक कर्मचारियों के साथ देश में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख शोध और अकादमिक संस्थान है। संस्थान अपने परिसर पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशालाएं, सेमिनार, संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

संस्थान ने संस्थान के छात्रों, संकाय, कर्मचारियों और आगंतुकों के लाभार्थ विभिन्न सुख-सुविधाओं के लिए एक नया भवन का निर्माण किया है। *सर्वम कॉम्प्लेक्स* नामक इस भवन को छात्रों के छात्रावास क्षेत्र में निर्मित किया गया है, इस प्रकार यहाँ एक बड़ी छात्र आबादी है। उक्त भवन में वर्तमान में कई दुकानें और सुविधाएं हैं जो छात्र समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। चार रसोई घर बनाने की सुविधा के साथ एक बड़ा भोजन क्षेत्र व्यवसाय के लिए तैयार है।

संस्थान इस प्रकार अपने परिसर के अंदर एक फुड़ कोर्ट स्थापित करने और संचालित करने में इच्छुक होटलियर/कैटरर/फ्रैंचाइजी से 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध' याने 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित करता है। विक्रेताओं की चार श्रेणियों की मांग की जा रही है, यथा :

1. चैट और स्नैक्स सहित दक्षिण भारतीय शाकाहारी
2. उत्तर भारतीय शाकाहारी और मांसाहारी
3. चाय प्वाइंट, हट्टी कापी, कफ़े कॉफी डे और इसी प्रकार के अन्य दुकान जो चाय, कॉफी और स्नैक्स प्रदान करता है।
4. डोमिनोज़/केएफसी/सब-वे या एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय चेईन

क. होटलियर/कैटरर/फ्रैंचाइजी को होना चाहिए कि

1. प्रमुख सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के संस्थानों में प्रति दिन कम से कम 500 व्यक्तियों की सेवा करने की प्रतिष्ठा के होटल को खानपान सेवाएं प्रदान करने का अनुभव।
2. खानपान / होटल व्यवसाय में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम 50 लाख रुपये प्रति वर्ष का कारोबार ।
4. होटल/खानपान प्रतिष्ठान चलाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त है।
परिसर में मौजूदा भोजनालय (कैंटीन/रेस्टोरेंट/सैक पार्लर) आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

ख. फुड़ कोर्ट का दायरा

खानपान सेवाएं संस्थान समुदाय के लिए हैं जिनमें संस्थान के छात्र, संकाय, कर्मचारी, अस्थायी-निवासी और आमतौर पर सरकारी कार्य/लेनदेन के लिए आनेवाले संस्थान के आगंतुक शामिल हैं।

विक्रेताओं की सभी चार श्रेणियों के लिए सामान्य दायरा

1. खानपान एजेंसी को रु.10 प्रति वर्ग फुट और लागू कर सहित मामूली लाइसेंस शुल्क पर एक स्व-सेवा फुड़ कोर्ट स्थापित करने के लिए भवन में एक निर्धारित स्थान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रु.10 प्रति वर्ग फुट और कर सहित आम क्षेत्र का शुल्क लिया जाएगा; यह सभी पट्टेदारों द्वारा यथानुपात आधार पर साझा किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक अधिकारी लाइसेंस शुल्क के अनुपात में भुगतान करेगा
2. संस्थान फुड़ कोर्ट में बिजली कनेक्शन (मीटर के साथ) प्रदान करेगा और विक्रेता से उन दरों पर शुल्क लिया जाएगा, जो बेस्कोम द्वारा संस्थान को प्रदान किया जाता है। आम क्षेत्र में बिजली की खपत यथानुपात आधार पर प्रभारित की जाएगी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक अधिकारी लाइसेंस शुल्क के अनुपात में भुगतान करेगा।
3. संस्थान सभी पेय और खाना पकाने के उद्देश्यों के लिए बीडब्ल्यूएसएसबी की दरों पर पानी कनेक्शन (मीटर के साथ) भी प्रदान करेगा।
4. यह अपेक्षा की जाती है कि निचले प्रतिष्ठान लागतों के संदर्भ में, होटलियर/कैटरर्स/ फ्रैंचाइजी परिसर में रियायती दरें प्रदान करेंगे। बोलीदाता जो उच्चतम रियायती दरों (उनके उद्धरण जमा करने के समय) की पेशकश करेंगे, उनकी बाहरी दरों की तुलना में प्रत्येक श्रेणी में प्राथमिकता दी जाएगी।
5. होटलियर/कैटरर्स/फ्रैंचाइजी को फुड़ कोर्ट के प्रमुख स्थानों पर दरों और मात्रा प्रदर्शित करना चाहिए।
6. होटलियर/कैटरर्स/फ्रैंचाइजी अपने लेन-देन को डिजिटाइज करने और पीओएस मशीनों/ एम वॉलेट आदि के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए।
7. स्व-सेवा के आधार पर काउंटरों के माध्यम से, सभी खाद्य पदार्थों को ताजा और गर्म या ताजा और ठंडा, जो उचित हो, रूप से परोसा जाना चाहिए। हालांकि, उपयोग की गई प्लेटें, इत्यादि को डाइनिंग क्षेत्र से तुरंत निकालकर डिश-वाशिंग क्षेत्र में पहुंचा जाना चाहिए।

8. व्यंजन तैयार करने के लिए केवल ताजा और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। गहरी रूप में तलने के लिए तेल का केवल एक बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
9. पीने के उद्देश्यों के लिए शुद्ध यूवी और आरओ अभिकृत जल की आपूर्ति की जानी चाहिए।
10. रसोई और भोजन क्षेत्रों में अत्यंत स्वच्छता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के मानकों के अनुसार रसोईघर, भोजन क्षेत्र, डिश-वाशिंग क्षेत्र, स्टोर रूम इत्यादि को होटलियर/कैटरर द्वारा साफ-सुथरा और निर्जलित रखना चाहिए। संस्थान के अधिकारी या उनके प्रतिनिधि समय-समय पर इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाए और अनुरक्षण और स्वच्छता के उपायों का सुझाव दिया जाए और ऐसे सुझावों का सावधानी से पालन किया जाना चाहिए।
11. रसोई, डाइनिंग एरिया, डिश वॉश एरिया इत्यादि से उत्पन्न कचरा इकट्ठा करके संस्थान के बाहर अपनी लागत पर इसका निपटान करने के लिए होटलियर/कैटरर ही एकमात्र ज़िम्मेदार होगा। किसी भी हालत में, खाद्य अपशिष्ट को सीवेज पाइप या नालियों के माध्यम से निपटाया नहीं जाना चाहिए।
12. परिसर के चारों ओर के मखियों ओर कीड़े से मुक्त होने के लिए फुड़ कोर्ट के परिसर को साफ सुथरा और धोया जाना चाहिए।
13. सभी वस्तु/उपकरण/भंडारण/प्रदर्शन को आबंटित क्षेत्र के अंदर निहित होना चाहिए।
14. होटलियर/कैटरर/फ्रैंचाइजी के सभी श्रमिकों को कार्यकाल के दौरान नाम बैज के साथ वर्दी पहनना चाहिए, जो साफ सुथरा होना चाहिए। सभी श्रमिकों को आवधिक चिकित्सा जांच-पड़ताल करनी होगी और संक्रामक और/या पुरानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को काम पर नहीं रखा जाएगा। श्रमिकों को कोई व्यापार संघ का गठन नहीं करना चाहिए या परिसर में व्यापार संघ की गतिविधियाँ नहीं करना चाहिए।
15. किसी भी परिस्थिति में सब-लेटिंग या उप-अनुबंध करना की अनुमति नहीं है और फुड़ कोर्ट के परिसर के समीप छोटी दुकानों को नहीं रखा जाना चाहिए; यदि कोई उल्लंघन ध्यान में आया है, तो अनुबंध तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, और सुरक्षा जमा जप्त कर दी जाएगी।
16. यदि अनुबंध का आदेश जारी किया जाता है, तो सफल बोलीदाता को अनुबंध के आदेश से दो महीने के अंदर अपना परिचालन शुरू करना चाहिए; किसी भी देरी से अनुबंध के आदेश को रद्द कर दिया जाएगा।

विक्रेताओं की विशिष्ट श्रेणी के लिए विशेष दायरा

दक्षिण भारतीय शाकाहारी

1. सेवा में सैक्स और डिनर के साथ नाश्ते, दोपहर का भोजन, चाय/कॉफी शामिल होना चाहिए; सेवा सप्ताह के सभी सात दिनों में सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 10.00 बजे तक प्रदान की जानी चाहिए।

2. केवल दक्षिण भारतीय शुद्ध शाकाहारी व्यंजन को पकाया जाना है और विक्रेता को आवंटित परिसर में परोसा जाना है।

उत्तर भारतीय शाकाहारी और मांसाहारी

सेवा में चैट, स्नैक्स और डिनर के साथ नाश्ते, दोपहर का भोजन, चाय/कॉफी शामिल होना चाहिए; सेवा सप्ताह के सभी सात दिनों में सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 10.00 बजे तक प्रदान की जानी चाहिए।

चाय प्वाइंट, कफ़े कॉफी डे, हट्टी कापी, आदि

सेवा में चैट, स्नैक्स, केक और पेस्ट्री, चाय/कॉफी/लस्सी/मिल्कशेक्स शामिल होना चाहिए; सेवा सप्ताह के सभी सात दिनों में सुबह 7.00 बजे से अगले दिन प्रातः 02.00 बजे तक प्रदान की जानी चाहिए।

डोमिनोज़/केएफसी/सब-वे या एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड

सेवा में महाद्वीपीय शैली आइटम, जैसे सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, रोल्स, सलाद, आदि शामिल होना चाहिए; सेवा सप्ताह के सभी सात दिनों में सुबह 7.00 बजे से अगले दिन प्रातः 02.00 बजे तक प्रदान की जानी चाहिए।

होटलियर/कैटरर जो प्रस्तावित या अभिरुचि की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने की इच्छा रखते हैं, कृपया प्रस्तावों को भेजने से पहले साइट पर जाकर अवलोकन कर लें।

ग. सामान्य नियम और शर्तें

1. अनुबंध समीक्षा/सामुदायिक प्रतिक्रिया के आधार पर वार्षिक नवीनीकरण के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा। संस्थान के विवेकाधिकार पर आपसी सहमति पर आगे की अवधि के लिए अनुबंध बढ़ाया जा सकता है।
2. किसी भी कारण बताए बिना 3 महीने की सूचना देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है। हालांकि, अगर कोई गंभीर चूक देखी जाती है, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें परिसर को तुरंत खाली करना पड़ेगा। अगर वे जारी रखने के इच्छुक नहीं हैं, होटलियर/कैटरर को 3 महीने की सूचना देकर और संस्थान को सभी बकाया राशि को मंजूरी देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
3. होटलियर/कैटरर/फ्रैंचाइजी के पास उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा खानपान प्रतिष्ठान चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। परिसर में अपनी भोजनालय खोलने से पहले, अनुबंध का आदेश दिया जाता है, तो उन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) से केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए, जिसके बिना परिसर में खानपान सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें एफएसएसआई एजेंटों द्वारा आवधिक लेखा परीक्षा में स्वयं शामिल होने के लिए तैयार होना चाहिए।
4. होटलियर/कैटरर/फ्रैंचाइजी को श्रम विभाग से अनुबंध श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत लाइसेंस प्राप्त करके पेश करना होगा। बाल श्रम नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।

5. होटलियर/कैटरर/फ्रैंचाइजी को एजेंसी के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सांविधिक लाभ (ईएसआई, पीएफ इत्यादि) सहित भुगतान के उचित खाते को बनाए रखने के लिए आवश्यक मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल होने के लिए वे पूरी तरह उत्तरदायी होंगे और ऐसी वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में एजेंसी की विफलता से उत्पन्न होनेवाली ऐसी संभावित देनदारियों के विरुद्ध संस्थान कोई क्षतिपूर्ति नहीं करेगा।
6. अनुबंध के अनुसार संस्थान समुदाय को फुड़ कोर्ट खानपान सेवाएं प्रदान की जानी है और किसी भी स्तर पर, इसे श्रम अनुबंध के रूप में समझा और विवेचित नहीं किया जाना चाहिए।
7. जहां होटलियर / कैटरर द्वारा काउंटर नियम और शर्तें, मुद्रित / फोटोकॉपी की पेशकश की गई है, जब तक कि इसकी एक विशिष्ट लिखित स्वीकृति प्राप्त न हो जाए, इसे संस्थान द्वारा स्वीकृत समझा नहीं जाएगा।
8. अनुबंध में प्रवेश होकर सुरक्षा जमा प्रस्तुत किए जाने के बाद सफल एजेंसी का ईएमडी वापस कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाता का ईएमडी सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध के अंतिम रूप दिए जाने के एक महीने के अंदर वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी का कोई ब्याज नहीं दी जाएगी।
9. सफल होटलियर / कैटरर / फ्रैंचाइजी को मांग ड्राफ्ट के माध्यम से 3 लाख रुपये की सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिसे संस्थान को बकाया राशि, यदि कोई हो, अनुबंध द्वारा समाप्त होने के बाद बिना ब्याज के वापस की जाएगी। हालांकि, अगर वे शर्तों और निबंधनों के अनुसार खानपान सेवा करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षा जमा को जब्त करने के लिए उत्तरदायी है।
10. सफल बोलीदाता को अनुबंध का आदेश दिये जाने पर उन्हें संस्थान के नियमों और शर्तों के अनुसार संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रारूप में एक समझौता निष्पादित करना होगा।
11. अग्नि/लापरवाही/ असावधानी के परिणामस्वरूप काम के क्षेत्रों में उपकरण / संपत्ति के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए तथा कर्मचारियों को होनेवाली किसी भी चोट, क्षति, दुर्घटनाओं के लिए होटलियर/कैटरर/फ्रैंचाइजी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
12. होटलियर/कैटरर/फ्रैंचाइजी अपने कर्मचारियों को वर्दी और नाम बैज प्रदान करेगा, सुनिश्चित करें कि वे फुड़ कोर्ट में भी उसे पहनते हैं और उनके श्रमिकों के अनुशासन के लिए जिम्मेदार होगा। उन्हें उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों के नाम और पते प्रदान करना होगा। उनके कर्मचारी संस्थान के कर्मचारी नहीं हैं और संस्थान पर कोई दावा नहीं करेंगे और संस्थान के हित में हानिकारक कार्य नहीं करेंगे। संस्थान के सुरक्षा और अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्देशित अनुसार उनके कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। श्रमिक संघ का गठन नहीं करेंगे या परिसर में व्यापार संघ गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।
13. होटलियर / कैटरर / फ्रैंचाइजी के श्रमिकों के लिए परिसर में कोई आवास प्रदान नहीं किया जाएगा और वे रहने की व्यवस्था स्वयं करेंगे।

14. प्रस्ताव सभी मामलों में पूरा होना चाहिए।
15. प्रस्ताव यानी अभिरुचि की अभिव्यक्ति इसे खोलने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी।
16. प्रस्ताव यानी अभिरुचि की अभिव्यक्ति और कवर में होटलियर/कैटरर/फ्रैंचाइजी का नाम और पता होना चाहिए और सभी दस्तावेजों पर उनकी मुहर और हस्ताक्षर होना चाहिए।
17. किसी भी या सभी प्रस्तावों याने अभिरुचि की अभिव्यक्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या बिना किसी कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है।
18. इस अनुबंध से संबंधित सभी मामलों पर, संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

घ. प्रस्ताव प्रस्तुत करने का तरीका :

इच्छुक होटलियर/कैटरर्स/फ्रैंचाइजी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे अर्थात अभिरुचि की अभिव्यक्ति को निर्धारित प्रारूप में यथावत भरकर डीडी के रूप में लिए गए ईएमडी और निम्नलिखित समर्थित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ संलग्न करेंगे।

1. "रजिस्ट्रार, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु" के नाम देय रु.20,000/- की ईएमडी राशि के लिए लिया गया मांग ड्राफ्ट।
2. खानपान प्रतिष्ठान / सेवा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त लाइसेंस की प्रति
3. पिछले तीन वर्षों याने 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियां
4. पैन कार्ड की प्रति
5. जीएसटी प्रमाणपत्र की प्रति
6. अन्य स्थानों पर वर्तमान / पिछले अनुबंध के प्रशंसापत्र
7. श्रम विभाग (केंद्रीय / राज्य) द्वारा जारी प्रमाणपत्र
8. ईपीएफ, ईएसआई पंजीकरण संख्या / प्रमाण पत्र की प्रति
9. नैतिक अभ्यास का प्रमाण पत्र (नीचे उल्लिखित)

सम्पूर्ण रूप में भरे हुए प्रस्ताव, ईएमडी के लिए डीडी और दस्तावेजों की प्रतियाँ शामिल मुहरबंद लिफाफे के ऊपर "सर्वम कॉम्प्लेक्स में फुड कोर्ट कैटरिंग सेवा चलाने के लिए प्रस्ताव" उल्लेख करके दि..... के अपराह्न 12.30 बजे या उसके पहले रजिस्ट्रार के कार्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु - 560 012 में भेजा जाए।

प्रस्तावित होने वाले बोलीदाताओं की उपस्थिति में प्रस्तावों को उसी दिन डीन समिति कक्ष में अपराह्न 3.30 बजे को खोला जाएगा।

यदि कोई होटलियर/कैटरर्स/फ्रैंचाइजी को उपर्युक्त विषय पर कोई और जानकारी/ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या साइट को देखना चाहते हैं, तो वे कृपया मूल्यांकन अनुभाग - दूरभाष सं.080-22932293 / उप रजिस्ट्रार - दूरभाष सं. 080-22932988 पर संपर्क कर सकते हैं।

ड. चयन का माध्यम

बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मूल्यांकन संस्थान के मानदंडों के आधार पर किया जाएगा और संस्थान की एक समिति द्वारा बोलीदाताओं के होटल/खानपान इकाइयों की साइट पर संदर्शन किया जाएगा। संस्थान केवल लघुसूची वाले बोलीदाताओं को कैटर किए जाने वाले सामानों की सूची के साथ वाणिज्यिक बोली दस्तावेज जारी करेगा। वाणिज्यिक बोलियों को खोलने की तारीख को बाद में सूचित किया जाएगा। वाणिज्यिक बोली में निर्धारित शर्तों के अनुसार अंतिम चयन सबसे कम उद्धृत मूल्य पर होगा।

प्रस्ताव के लिए अनुरोध याने अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए प्रपत्र

क्रम सं.	विवरण	प्रस्तुत की गई सूचना
1	एजेंसी का नाम	
2	पंजीकरण का पता	
3	टेलीफ़ोन नं. मोबाइल नं. ईमेल आईडी वेबसाइट	
4	स्थापना का महीना और वर्ष	
5	मालिक/साझेदार का नाम (स्वामित्व/साझेदारी की प्रति संलग्न करने की आवश्यकता है)	
6	पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक टर्न ओवर 2014-15 2015-16 2016-17 (लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रति संलग्न की जानी चाहिए)	
7	क्या फर्म एक आयकर निर्धारिती है? यदि हां कृपया पैन नंबर का विवरण दें और नवीनतम आकलन आदेश की प्रति दें।	
8	पंजीकरण नं.	
9	ईपीएफ़ नं.	
10	ईएसआई नं.	
11	जीएसटी नं.	
12	क्या बेंगलूरु में आपके कोई कार्यालय है? यदि हाँ, तो कृपया पता एवं दूरभाष सं. प्रदान करें।	
13	क्या आपके शाखाएं हैं? यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।	
14	वर्तमान बुनियादी ढांचे का विवरण. कृपया उपकरण, लागत और खरीद के वर्ष का विवरण प्रस्तुत करें।	
15	नियोजित व्यक्तियों का विवरण. कृपया नियोजित व्यक्तियों की संख्या, उनकी शैक्षिक योग्यता आदि प्रस्तुत करें।	
16	पता और दूरभाष के साथ कम से कम 2 संदर्भ का नाम दें। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	

17. पिछले अनुबंध का विवरण

अनुबंध की अवधि		संगठन का नाम व पता	लिए गए अनुबंध का प्रकार	नियोजित व्यक्तियों की संख्या	अनुबंध का मूल्य (वार्षिक) और अन्य विवरण
से	तक				

18. आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली समान प्रकृति के मौजूदा अनुबंध / होटल, यदि कोई हो, का ब्योरा दें और जिसे हमारी समिति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुबंध की अवधि		संगठन का नाम व पता	लिए गए अनुबंध का प्रकार	नियोजित व्यक्तियों की संख्या	अनुबंध का मूल्य (वार्षिक) और अन्य विवरण
से	तक				

नैतिक अभ्यास का प्रमाण पत्र

मैं/हम संस्थान को आश्वासन देता हूँ/देते हैं कि न तो मैं/हम और न ही मेरे/हमारे कर्मचारी कोई भी ऐसा कार्य करेंगे, जो हमें प्रदत्त अनुबंध के निष्पादन के दौरान अनुचित/अवैध हैं।

न तो मैं/हम और न ही मेरे/हमारे कर्मचारी/प्रतिनिधि संस्थान में मेरे/हमारे व्यवहार में किसी भी भ्रष्ट गतिविधियों/अभ्यास में शामिल होंगे।

मैं/हम संस्थान में हमारे किसी भी कार्य/अनुबंध में हमें कोई संघर्ष नहीं होने देंगे।

हस्ताक्षर

हमने दायरे और नियमों और शर्तों को समझ लिया है और इससे सहमत होंगे।

स्थान :
तारीख :

मुहर सहित होटलियर / कैटर / फ्रैंचाइजी
के अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

संलग्न दस्तावेजों की सूची (उल्लेख करें)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.